(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खंड 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 89 **नई दिल्ली** **27 मे 2008**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, विशाखापत्तनम् पत्तन को राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से जोड़ने वाले जोड़ मार्गो / उड्डान पुलों के लिए टोल में वार्षिक वृद्धि हेतु विशाखापत्तनम् पत्तन सड़क कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) के प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है ।

(ब्रह्मदत्त)

अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी / 47/2006-वीपीआरसीएल

विशाखापत्तनम् पत्तन सड़क कम्पनी लिमिटेड --------
आवेदक

आ दे श

(अप्रैल 2008 के 22 वें दिन पारित)

यह प्रकरण विशाखापत्तनम् पत्तन को राष्ट्रीय राजमार्ग-5 से जोड़ने वाले जोड़ मार्गों / उड्डान पुलों के लिए इस प्राधिकरण द्वारा टोल में वार्षिक वृद्धि हेतु विशाखापत्तनम् पत्तन सड़क कम्पनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. इस प्राधिकरण ने, दिसम्बर 2006 से यातायात के लिए खुल चुके नए-नए निर्मित जोड़ मार्ग के लिए टोल को तदर्थ अनुमोदन प्रदान करते हुए 28 नवम्बर 2006 को एक आदेश पारित किया था।

2.2. तदनन्तर, इस प्राधिकरण ने, वीपीआरसीएल द्वारा प्रचालित कथित सड़क / उड्डान पुल के लिए फाइनल टोल निर्धारित करते हुए 7 अगस्त 2007 को एक आदेश पारित किया था। उक्त आदेश भारत के राजपत्र सं. 164 के माध्यम से 16 अगस्त 2007 को अधिसूचित किया गया था।

2.3. वीपीआरसीएल ने अपने आरंभिक प्रस्ताव में, जो सम्बद्ध पक्षों में परिपत्रित किया गया था, दिसम्बर 2005 के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पीआई) के आधार पर, टोल में वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया था। चूंकि बीओटी प्रोजैक्ट के लिए नई राष्ट्रीय राजमार्ग टोल नीति विधि मंत्रालय द्वारा संवीक्षा के अधीन थी, वीपीआरसीएल ने, बाद में, केन्द्र सरकार द्वारा नीति को अनुमोदन प्रदान के बाद वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने हेतु अलग से प्रस्ताव दाखिल करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी थी।

2.4. वीपीआरसीएल द्वारा की गई उपरोक्त प्रस्तुतियों की दृष्टि से इस प्राधिकरण ने 7 अगस्त 2007 को पारित अपने आदेश में कहा था कि जब भी केन्द्र सरकार द्वारा फार्मूले को अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वीपीआरसीएल टोल में वार्षिक वृद्धि के लिए एक अलग प्रस्ताव लेकर आ सकता है।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, वीपीआरसीएल ने, 15 दिसम्बर 2007 से प्रभावी वर्तमान टोल में वार्षिक वृद्धि के लिए एक प्रस्ताव दाखिल किया है। इसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की प्रचलित नीति पर आधारित वर्तमान टोल को, निम्नलिखित फार्मूला लागू करते हुए, बढ़ाने का प्रस्ताव किया है :-

$$\text{आधार शुल्क} \times \frac{\text{थोमूसू}_0}{\text{थोमूसू}_1}$$

यहां WPI_0 आधार WPI (थोक मू.सू.) अर्थात दिसम्बर 2005 का थो.मू.सू. (197.2)
WPI_1 आर्थिक सलाहकार के कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वैबसाइट से प्राप्त किया गया थो.मू.सू. (WPI) 215.2 है

3.2. तदनुसार वीपीआरसीएल ने उपरोक्त फार्मूला पर आधारित वर्तमान टोल पर वार्षिक वृद्धि लागू करते हुए और इस प्रकार से गणना की गई दरों रू. 5/- के गुणजों में राउंड ऑफ करते हुए संशोधित टोल शैडयूल प्रस्तावित किया है ।

3.3. वीपीआरसीएल ने निवेदन किया है कि नई एनएचएआई नीति को अभी तक फाइनल रूप नहीं दिया गया है । एनएचएआई के बीओटी प्रोजैक्ट्स के मामले में उपयोगकर्त्ता शुल्क (टोल) का वार्षिक संशोधन वाणिज्यिक प्रचालन की प्रथम वर्षगांठ से प्रभावित होता है । इसके मामले में, उपयोगकर्त्ता शुल्क का संग्रह 15 दिसम्बर 2006 से आरम्भ हुआ और, अतएव, बीओटी प्रोजैक्टों के लिए एनएचएआई की प्रचलित नीति के अनुसार वार्षिक संशोधन 15 दिसम्बर 2007 से देय हो गया है । इसने इस बात की पुष्टि की है कि वर्तमान टोल में वार्षिक वृद्धि के लिए प्रस्तावित फार्मूला एनएचएआई की प्रचलित नीति के अनुसार है ।

4.1. विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) ने इस बात की पुष्टि की है कि टोल में वार्षिक संशोधन पत्तन मार्ग प्रोजैक्टों के लिए एनएचएआई नीति पर आधारित है और इसलिए, उसने प्रस्ताव के अनुमोदन की सिफारिश की है ।

4.2. जैसाकि पहले उल्लेख किया गया था, उपयोगकर्त्ताओं को परिपत्रित किए गये आरम्भिक प्रस्ताव में, दिसम्बर 2005 के थो.मू.सू. को आधार लेते हुए वार्षिक वृद्धि के लिए पहले ही एक प्रावधान था । टोल में वार्षिक वृद्धि का लगाया जाना अगली नीति उपलब्ध होने तक केवल स्थगित किया गया था । इसके मद्देनज़र और इस बात को मान्यता देते हुए कि टोल में वार्षिक वृद्धि के लिए अब प्रस्तावित किया गया फार्मूला इसी प्रकार के प्रोजैक्टों सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान फार्मूला पर आधारित है, एक बार पुन: उपयोगकर्त्ताओं से परामर्श की प्रक्रिया को दोहराना आवश्यक नहीं समझा गया था ।

5. वीपीआरसीएल ने विचाराधीन प्रस्ताव पर इस प्राधिकरण द्वारा कुछ बिन्दुओं पर उठाए गए प्रश्नों के संदर्भ से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है । वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ मुख्य बिन्दु संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:-

(i) इसके दिनांक 8 नवम्बर 2006 के आरम्भिक प्रस्ताव में वर्ष 2006-07 के लिए प्रस्तावित टोल दरें 31 दिसम्बर 2005 के थो.मू.सू. पर आधारित है ।

(ii) प्रकाशित थो.मू.सू. आमतौर पर न्यूनतम पांच सप्ताह के बाद वैबसाइट पर उपलब्ध होता है । चूंकि टोल में संशोधन दिसम्बर 2007 से अपेक्षित है, इसने

पांच सप्ताह पहले उपलब्ध थो.मू.सू. पर आधारित थो.मू.सू. पर ही विचार करने का प्रस्ताव किया है ।

6. वीपीआरसीएल ने एनएचएआई की प्रचलित नीति की प्रति अग्रेषित नहीं की है । इसने इतर बीओटी परियोजनाओं के संदर्भ में सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ प्रस्तुत की हैं । राजपत्र अधिसूचनाओं में सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित वृद्धि फार्मूला नीचे तालिका में दिया है :-

प्रोजैक्ट का नाम मंत्रालय द्वारा अधिसूचना की तिथि	शुल्क (टोल) में वृद्धि के लिए निर्धारित फार्मूला	यहाँ
1. राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर जयपुर -किशनगढ़ 20.12.2003 को अधिसूचित	आधार शुल्क X थो.मू.सू.-बी / थो.मू.यू.-ए	थो.मू.सू.-ए. 31.03.1997 को थो.मू.सू.-बी. = शुल्क संशोधन तिथि से पहले 31 मार्च को थो.मू.सू.
2. राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर नील मंगला - तुम्कुर 24.12.2003 को अधिसूचित	आधार शुल्क X थो.मू.सू.1 / थो.मू.यू.0	थो.मू.सू.ए.0= 31.03.1997 को थो.मू.सू. थो.मू.सू.1= शुल्क संशोधन तिथि से पहले 31 मार्च को थो.मू.सू.
3. राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर सातारा-कागल 05.05.2005 को अधिसूचित	आधार शुल्क X थो.मू.सू.1 / थो.मू.सू.0	थो.मू.सू.0.=01.03.1997 को थो.मू.सू. थो.मू.सू.1 = शुल्क संशोधन तिथि से पहले 31 मार्च को थो.मू.सू.
4. राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर दिल्ली-गुड़गांव 18.06.2007 को अधिसूचित	आधार शुल्क X थो.मू.सू.-बी / थो.मू.सू.-ए	थो.मू.सू.-ए.=01.04.2005 को थो.मू.सू. थो.मू.सू.-बी = शुल्क संशोधन तिथि से पहले 31 दिसम्बर को थो.मू.सू.
5. मुंबई -जेएनपीटी पत्तन सम्पर्क प्रोजैक्ट 13.07.2005 को अधिसूचित	आधार शुल्क X थो.मू.सू.-ए. / थो.मू.सू.-बी	थो.मू.सू.-बी.=31.03.2004 को थो.मू.सू. थो.मू.सू.-ए = शुल्क संशोधन तिथि से पहले 31 मार्च को थो.मू.सू.

7. वीपीआरसीएल द्वारा अग्रेषित ऐसी ही प्रकृति के अन्य बीओटी प्रोजैक्टों के लिए सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं दिखाती हैं कि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आधार टोल, प्रदत्त फार्मूला के आधार पर वार्षिक संशोधन के अधीन हैं । टोल में वार्षिक वृद्धि के लिए वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तावित फार्मूला वैसा ही पाया गया है जैसा इसी प्रकार के अन्य बीओटी प्रोजैक्टों के लिए सड़क यातायात तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है । अतएव यह प्राधिकरण, टोल में वार्षिक वृद्धि के लिए वीपीआरसीएल द्वारा प्रस्तावित फार्मूला को इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान करने का इच्छुक है जिसकी इस आदेश के आगामी भाग में व्याख्या की गई है ।

8. (i) इस प्राधिकरण द्वारा वीपीआरसीएल का अनुमोदित आरम्भिक टोल 31 दिसम्बर 2005 को थू.मू.सू. पर
आधारित है । यह वीपीआरसीएल के आरम्भिक प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से प्रस्तावित किया गया था । टोल में वार्षिक वृद्धि निर्धारित करने के लिए उसी

आधार थो.मू.सू. को कायम रखने का प्रस्ताव रखा है । अतएव, 31 दिसम्बर 2005 को थो.मू.सू. पर आधार थो.मू.सू. के रूप में विचार करने हेतु वीपीआरसीएल का प्रस्ताव (1972) स्वीकार किया जाता है ।

(ii) टोल में वार्षिक वृद्धि लागू करने के लिए वीपीआरसीएल ने 22 सितम्बर 2007 को सप्ताह के लिए थो.मू.सू. लागू करने का प्रस्ताव किया है । इसने इसको न्याय संगत ठहराया है कि वैब साइट में अद्यतन थो.मू.सू. को प्राप्त करने में कम से कम पाँच सप्ताह लगते हैं । इसलिए, संशोधित तिथि से पांच सप्ताह पहले के थो.मू.सू. पर फार्मूला में विचार किया गया है । टोल तय करते समय विचार किया गया आधार थो.मू.सू. 31 दिसम्बर 2005 का है । इसलिए, वार्षिक वृद्धि को बाद के वर्षों के 31 दिसम्बर पर थी मू.सू.के संदर्भ से नापना उचित ही है । ऐसा ही नजरिया, ऊपर संदर्भित अन्य प्रोजैक्टों में सरकार द्वारा निर्धारित फार्मूला में अपनाया गया है ।

वीपीआरसीएल ने अपने प्रस्ताव में 15 दिसम्बर 2007 से टोल को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है । जिन उपयोगकर्त्ताओं ने उक्त सड़क / उड्डान पुल का उपयोग पहले ही कर लिया है, उनसे पिछले प्रभाव से टोल की उगाही करना व्यवहार्य नहीं होगा । थोमूसू प्राप्त करने में लगने वाले समय को मान्य करते हुए संशोधित टोल प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रभावी होगा ।

चूंकि टोल में वार्षिक वृद्धि 31 दिसम्बर को थोमूसू के संदर्भ से परिगणित की जानी है और आने वाले वर्ष के 1 अप्रैल से लागू की जानी है , वीपीआरसीएल मामले में इससे पहले अधिसूचित आधार टोल 31 दिसम्बर 2007 को थोमूसू के आधार पर अनुमोदित वृद्धि फार्मूला के अनुसार संशोधित किया जाना है और संशोधित टोल 1 अप्रैल 2008 से लगाया जाएगा ।

(iii) वीपीआरसीएल ने वर्तमान टोल पर वार्षिक वृद्धि लगाने है और संशोधित दरों को रू. 5/- के गुणकों में राउंड ऑफ करने का प्रस्ताव किया है । ऐसे ही अन्य सड़क प्रोजैक्टों के लिए सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदत्त वार्षिक वृद्धि के लिए फार्मूला राउंड ऑफ को रू. 1/- के गुणकों में सीमित करता है । वीपीआरसीएल के मामले में कोई असाधारण परिस्थिति नहीं उभरती जो राउंडिंग ऑफ को रू. 5/- के गुणकों में अनुमत करे । अतएव, प्रस्तावित प्रावधान सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं में निहित निदेशों के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है ।

(iv) सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ही बीओटी प्रोजैक्टों के लिए टोल के वार्षिक संशोधन के लिए एक फार्मूला निदेशित भर किया है । वीपीआरसीएल

मामले में भी वैसा ही होते हुए टोल में वार्षिक वृद्धि के लिए फार्मूला निदेशित करना पर्याप्त होगा । वीपीआरसीएल वार्षिक रूप से संशोधित कर सकता है और अनुमोदित फार्मूला लागू करते हुए संशोधित टोल लगा सकता है ।

9. परिणामस्वरूप और ऊपर प्रदत्त कारणों से यह प्राधिकरण, इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी / 47 / 2006 - वीपीआरसीएल के जरिए अनुमोदित और 16 अगस्त 2007 को अधिसूचित वर्तमान टोल संरचना में निम्नलिखित मद शामिल करने को अनुमोदित करता है:

''(IV). टोल में वार्षिक वृद्धि

नोट्स:

(1) टोल का वार्षिक संशोधन निम्नानुसार परिगणित किया जाएगा:

$$\text{आधार शुल्क} \times \frac{\text{थोमूसू}_1}{\text{थोमूसू}_0}$$

यहाँ

- थोमूसू $_0$ = 31 दिसम्बर 2005 को थोक मूल्य सूचकांक (197.2)
- थोमूसू $_1$ = शुल्क संशोधन तिथि से पूर्व 31 दिसम्बर को थोक मूल्य सूचकांक

(2) संशोधित टोल, वर्ष 2008 से आरम्भ करते हुए प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से लगाया जाएगा ।

(3) थोमूसू का अर्थ है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी वस्तुओं के लिए प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक ।

(4) लगाए गए संशोधित टोल को एक रूपये के निकटतम गुणज में राऊंड ऑफ किया जाएगा । राउंड-ऑफ करते समय 50 पैसे तक के रूपयांश को नजरंदाज किया जाएगा और 50 पैसे से अधिक के रूपयांश को अगले पूर्ण रूपये में राउंड-ऑफ किया जाएगा ।

(ब्रह्म दत्त)

अध्यक्ष